

[2024] 5 एस.सी.आर. 906: 2024 आईएनएससी 389

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन

विरुद्ध

द रीजनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स

(सिविल अपील संख्या 7780/2014)

एवं

(सिविल अपील संख्या 18459/2017)

(सिविल अपील संख्या 18460/2017)

(सिविल अपील संख्या 18462/2017)

(सिविल अपील संख्या 18463/2017)

(सिविल अपील संख्या 18461/2017)

(सिविल अपील संख्या 18464/2017)

(सिविल अपील संख्याएँ 18465/2017-18466/2017)

(सिविल अपील संख्याएँ 18457/2017-18458/2017)

और

(सिविल अपील संख्या 18467/2017)

07 मई 2024

[न्यायमूर्ति संजीव खन्ना* एवं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता]

विचारणीय बिंदु

- I. क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii) और/या आयकर नियम, 1962 का नियम 3(7)(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को 'आवश्यक विधायी कार्य' का प्रत्यायोजन किये जाने का उपबंध करते हैं?
- II. क्या आयकर नियम, 1962 का नियम 3(7)(i) मनमाना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट को बेंचमार्क मानता है?

आयकर अधिनियम, 1961 – धारा 17(2)(viii) – आयकर नियम 1962 – नियम 3(7)(i) – उच्च न्यायालयों में चुनौती – उच्च न्यायालयों द्वारा रिट याचिकाओं की खारिजी – विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संघों और अधिकारियों के संघों द्वारा कई अपीलें दायर की गईं, जिनमें उच्च न्यायालयों के निर्णयों को चुनौती दी गई, जिसमें धारा 17(2)(viii) और नियम 3(7)(i) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवश्यक विधायी कार्य का अत्यधिक और अनियंत्रित प्रत्यायोजन के आधार पर चुनौती दी गई, इसके अलावा, नियम 3(7)(i) को मनमाने और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई, क्योंकि यह बैंक द्वारा ग्राहक से ऋण पर लिए जाने वाले वास्तविक ब्याज दर के बजाय एसबीआई की प्राइम लीडिंग दर को बेंचमार्क मानता है – सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों को बरकरार रखा – अपीलें खारिज।

अवधारित: निर्णय: जब एकसमान दृष्टिकोण की बात आती है तो राजकोषीय या कर उपायों से संबंधित कानून अन्य कानून की तुलना में अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। [पैरा 1, 3, 34, और 35]

कानून का अर्थान्वयन - लोकप्रिय अर्थ कानून को सामान्य जनता के लिए सरल और आसान बनाता है - आखिरकार, यह सामान्य जनता ही है जो कानून के निहितार्थों से चिंतित है, और इस प्रकार, सामान्य जनता की समझ विधायी आशय का निश्चित सूचकांक है - यह नियम कराधान कानून में शब्दों या अभिव्यक्तियों की व्याख्या करने पर भी समान रूप से लागू होता है। धारा 17(2)(viii) एक अवशिष्ट खंड है, जिसे लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है – चूंकि इसे कैच-विदिन-डोमेन के प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है, इसलिए अवशिष्ट खंड लोहे की तरह मजबूत और सटीक नहीं है – अभिव्यक्ति 'अनुलाभ' एक आम व्यक्ति, जो कर लगाने वाले कानून के विषय से परिचित है, द्वारा अच्छी तरह से समझा जाता है।

अवधारित: विधायिका स्पष्ट परिभाषाओं के माध्यम से शब्दों के अर्थ को चित्रित कर सकती है और करती भी है – स्पष्ट परिभाषाएँ उपयोगी हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि सभी शब्दों या अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए – लोकप्रिय अर्थ आम लोगों

के लिए क़ानून को सरल और आसान बनाता है – आखिरकार, यह आम व्यक्ति ही होता है जो क़ानून के प्रभावों से चिंतित होता है और इस प्रकार, आम आदमी की समझ विधायी आशय का निश्चित सूचकांक है – विधायिका को शब्द/अभिव्यक्ति के लिए दिए गए अच्छी तरह से समझे गए अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, और आवश्यक निहितार्थ से विधायिका एक निश्चित और सटीक परिभाषा निर्धारित न करके, निर्धारित प्रचलित अर्थ को ही आरोपित करती है। सामान्य बोलचाल या वाणिज्यिक उपयोग में शब्द/अभिव्यक्ति के लिए - इसमें किसी विशेष व्यापार, कारोबार या पेशे आदि में तकनीकी शब्दों को दिए गए अर्थ शामिल होंगे - जब क़ानून किसी विशेष व्यापार, कारोबार या लेन-देन से संबंधित हो - यह नियम कराधान क़ानून में शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ लगाने पर भी समान रूप से लागू होता है। धारा 17(2)(viii) एक अवशिष्ट खंड है, जिसे लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है – चूंकि इसे एक सक्षम कैच-इन-डोमेन प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है, इसलिए अवशिष्ट खंड लोहे की तरह मजबूत और सटीक नहीं है – सामान्य बोलचाल और वाणिज्यिक उपयोग में ‘अनुलाभ’ के प्रचलित अर्थ का पता लगाकर अधिक व्यावहारिक और सामान्य दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है – ‘अनुलाभ’ अभिव्यक्ति एक आम व्यक्ति, जो कर लगाने वाले क़ानून के विषय से परिचित है, द्वारा अच्छी तरह से समझा जाता है – न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर का व्यापक शब्दकोष ‘अनुलाभ’ को वेतन या मजदूरी से परे सेवा से किसी भी आकस्मिक लाभ के रूप में परिभाषित करता है; इसलिए, किसी भी विशेषाधिकार या लाभ का दावा – इस प्रकार, ‘अनुलाभ’ कर्मचारी द्वारा धारित पद से जुड़ा एक फ्रिंज बेनिफिट है, जो कि पिछली या भविष्य की सेवा के लिए ‘वेतन के बदले लाभ’ के विपरीत एक पुरस्कार या प्रतिपूर्ति है – इस दृष्टिकोण से, नियोक्ता द्वारा व्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण प्रदान करना निश्चित रूप से ‘फ्रिंज बेनिफिट’ और ‘अनुलाभ’ के रूप में योग्य होगा, जैसा कि आम बोलचाल में इसके स्वाभाविक उपयोग के माध्यम से समझा जाता है। [पैरा 13-15, 18, और 19]

आयकर अधिनियम, 1961 – धारा 17(2)(viii) और आयकर नियम, 1962 – नियम 3(7)(i) सीबीडीटी को ‘आवश्यक विधायी कार्य’ प्रत्यायोजन किये जाने का उपबंध नहीं करता है।

अवधारित: [दिल्ली नगर निगम बनाम बिरला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और अन्य \(1968\) एससीसी ऑनलाइन एससी](#) में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने माना है कि विधायिका को आवश्यक विधायी कार्य अपने पास रखना चाहिए

- 'आवश्यक विधायी कार्य' का अर्थ है विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के बाध्यकारी नियम के रूप में उसका निर्माण - इसलिए, जब विधायिका विधायी नीति की घोषणा करती है और कानून के माध्यम से मानक निर्धारित करती है, तो वह शेष कार्य को अधीनस्थ विधान पर छोड़ सकती है - इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या प्राथमिक कानून में पर्याप्त स्पष्टता के साथ विधायी नीति और मानकों को बताया गया है जो अधीनस्थ अधिकारियों, जो प्रत्यायोजित कानून बनाते हैं, पर बाध्यकारी हैं। धारा 17(2)(viii) के तहत अधीनस्थ प्राधिकरण की 'किसी अन्य फ्रिंज बेनिफिट या सुविधा' को अनुलाभ के रूप में निर्धारित करने की शक्ति असीमित नहीं है - स्पष्ट चित्रण पूर्ण निकाय के रूप में विधायिका की शक्ति को नहीं छीनता है, जो अधीनस्थ अधिकारियों को नियम बनाने का अधिकार सौंपने के लिए, किसी अन्य 'फ्रिंज बेनिफिट' या वार्षिकी को 'अनुलाभ' के रूप में 'अनुलाभ' के दायरे में लाने के लिए है - प्रतिनिधिमंडल का असीमित अधिकार विधायी शक्ति में निहित नहीं है - प्रतिनिधिमंडल की वैधता एक सहायक उपाय के रूप में इसके उपयोग पर निर्भर करती है, जिसे विधायिका विधायी शक्तियों के पूर्ण और प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक मानती है - बशर्ते कि विधायी नीति पर्याप्त स्पष्टता के साथ घोषित की गई हो या एक मानक निर्धारित किया गया हो, सटीक शब्दों में अदालतों को उस विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो निस्संदेह किसी विशेष मामले में आवश्यक प्रतिनिधिमंडल की सीमा निर्धारित करने में विधायिका के पास है - हालांकि, यह माना गया कि संशोधन में नीति में बदलाव शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि 'आवश्यक विधायी कार्य' में विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के बाध्यकारी नियम के रूप में इसका निर्माण शामिल है - धारा 17(2)(viii) और नियम 3(7)(i) के संदर्भ में, हमारा विचार है कि मुख्य कानून आवश्यक विशेषता परीक्षण के दायरे में नहीं आता है - वे आवश्यक विशेषता को संशोधित नहीं करते हैं और न ही वे विधायी नीति या आचरण के बाध्यकारी नियम को निर्धारित करने की शर्त का उल्लंघन करते हैं - एक प्रत्यायोजित कानून असंवैधानिक नहीं है जब विधायिका कराधान कानूनों के कामकाज से संबंधित विवरण निर्धारित करने के लिए इसे कार्यपालिका पर छोड़ देती है, जैसे कि उन व्यक्तियों का चयन जिन पर कर लगाया जाना है, विभिन्न श्रेणियों के सामानों के संबंध में जिस दर पर इसे लगाया जाना है और इसी तरह - मुख्य विधायिका ने मार्गदर्शन, नियंत्रण या सुरक्षा के बिना कर की दर तय करने की बिना शर्त शक्ति नहीं दी है ब्याज मुक्त/रियायती ऋण को फ्रिंज बेनिफिट के रूप में देना अधिनियम की धारा 17(2)(viii) के तहत नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत आता है - धारा 17(2)(viii) स्वयं, और नियम 3(7)(i) का अधिनियमन अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला नहीं

है और यह स्वीकार्य प्रत्यायोजन के मापदंडों के अंतर्गत आता है। [पैरा 21-25, 28, 30 और 31]

आयकर नियम, 1962 - नियम 3(7)(i) - मनमाना नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, यद्यपि यह एसबीआई के पीएलआर को बेंचमार्क मानता है।

अवधारित : एसबीआई की ब्याज दर को बेंचमार्क के रूप में तय करना न तो मनमाना है और न ही शक्ति का असमान प्रयोग है – नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने असमान को समान नहीं माना है – बैंक कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण से मिलने वाला लाभ एक अनूठा लाभ/फायदा है जो उन्हें मिलता है – यह एक ‘अनुलाभ’ की प्रकृति का है, और इसलिए कराधान के लिए उत्तरदायी है – नियम 3(7)(i) मनमाना या तर्कहीन नहीं है यद्यपि यह एसबीआई के पीएलआर के संदर्भ में अनुलाभ की गणना को बेंचमार्क मानता है – एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और उनके द्वारा तय की गई ब्याज दरें अनिवार्य रूप से अन्य बैंकों द्वारा ली जा रही ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं – अनुलाभ या फ्रिंज बेनिफिट की गणना के लिए एक स्पष्ट बेंचमार्क तय करके, यह नियम विभिन्न बैंकों द्वारा ग्राहकों से कर योग्य राशि पर ली जा रही ब्याज दरों का पता लगाने से रोकता है - जब निश्चितता और स्पष्टता होती है, तो कर दक्षता होती है जो करदाता और कर अधिकारियों दोनों के लिए फायदेमंद होती है - ये सभी अच्छे कर कानून के लक्षण हैं - नियम 3(7)(i) एकसमान दृष्टिकोण पर आधारित है और यह एक निष्पक्ष निर्धारण सिद्धांत पर भी आधारित है जो संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित है - जब समान दृष्टिकोण की बात आती है तो राजकोषीय या कर उपायों से संबंधित कानून अन्य कानूनों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं - वाणिज्यिक और कर कानून अत्यधिक संवेदनशील और जटिल होते हैं क्योंकि वे कई समस्याओं से निपटते हैं और समाश्रित होते हैं - प्रश्रुत कानून में हस्तक्षेप करना, जो दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकता है और निश्चितता को बढ़ावा देता है - यह करदाताओं के लिए अन्यायपूर्ण, बेरहम या कठोर नहीं है - एक जटिल समस्या को एक स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले के माध्यम से हल किया गया है, जो न्यायिक स्वीकृति के योग्य है - अन्यथा अवधारित करने से, कई समस्याएं/मुद्दे पैदा होंगे और विधायी विवेक को खत्म कर देंगे - वर्तमान मामले में सार्वभौमिक परीक्षण व्यावहारिक, निष्पक्ष और न्यायसंगत है - इसलिए, नियम 3(7) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के भीतर माना जाता है। [पैरा 32-34]

उद्धृत न्यायदृष्टांत

दिल्ली नगर निगम बनाम बिरला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और अन्य [\[1968\] 3 एससीआर 251](#); (1968) एससीसी ऑनलाइन एससी 13; पंडित बनारसी दास भनोट बनाम मध्य प्रदेश राज्य [\[1959\] 1 एससीआर 427](#) – आधारित।

अरुण कुमार बनाम भारत संघ [\[2006\] अनुपूरक 6 एससीआर 290](#); (2007) 1 एससीसी 732; अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम भारत वी. पटेल [\[2018\] 7 एससीआर 1067](#); (2018) 15 एससीसी 670, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी [\[2008\] 3 एससीआर 330](#); (2008) 4 एससीसी 720, स्विस् रिबन्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ [\[2019\] 3 एससीआर 535](#); (2019) 4 एससीसी 17 – अनुसरित।

ओवेन बनाम पूक (1969) 2 डब्ल्यूएलआर 775 (एचएल); रेंडेल बनाम वेंट (1964) 1 डब्ल्यूएलआर 650 (एचएल); इन री : द दिल्ली लॉज एक्ट, [1912 \[1951\] 1 एससीआर 747](#); (1951) एससीसी 568; राज नारायण सिंह बनाम अध्यक्ष, पटना प्रशासन समिति [\[1955\] 1 एससीआर 290](#); हरि शंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य [\[1955\] 1 एससीआर 380](#); वेस्टर्न इंडिया थियेटर्स लिमिटेड बनाम पूना नगर निगम, एआईआर 1959 एससी 586; पॉवेल बनाम अपोलो कैंडल कंपनी लिमिटेड, 8 एसी 282; देवीदास गोपाल कृष्णन बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1967) एससी 1895; कलकत्ता निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा [\[1965\] 2 एससीआर 477](#) - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर का कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, ब्लैक का लॉ डिक्शनरी (दसवाँ संस्करण), पी. रामनाथ अय्यर का द मेजर लॉ लेक्सिकॉन (चौथा संस्करण)।

अधिनियमों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961; आयकर नियम, 1962; आयकर (प्रथम संशोधन) नियम, 2004; भारत का संविधान।

कीवर्ड की सूची

अनुलाभ; अनुलग्नक; फ्रिज बेनिफिट; सुविधाएं; प्राइम लेंडिंग रेट; रियायती या ब्याज मुक्त ऋण लाभ; वेतन; अवशिष्ट खण्ड; आवश्यक विधायी कार्य; अत्यधिक प्रत्यायोजन; शक्ति का प्रत्यायोजन; अधिकारातीत; प्राधिकार के अधीन।

किससे उद्भूत मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7708 वर्ष 2014

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 3963/2008 के दिनांक 30.11.2009 के निर्णय एवं आदेश से

एवं

सिविल अपील संख्या 18459, 18460, 18462, 18463 18461, 18464, 18465, 18466, 18457-18458 एवं 18467 वर्ष 2017

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

पक्षकारों की ओर से अधिवक्तागण- एन. वेंकटरमन, ए.एस.जी., प्रमोद स्वरूप, अरविंद पी. दातार, वसीम कादरी, वी. चिताम्बरेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक अत्रे, सुश्री परीना स्वरूप, बेनी जोसेफ, सुश्री अलका सिन्हा, डॉ. अभिषेक अत्रे, हारिस वीरन, आनंद पी. मेनन, सईद मरजूक बफ़ाकी, अज़हर असीस, राजेश महाले, आर. चंद्रचूड़, धूलि वेंकट कृष्णा, राज बहादुर यादव, शशांक वाजपेयी, प्रह्लाद सिंह, श्रीमती गार्गी खन्ना, प्रत्यूष श्रीवास्तव, एच.आर. राव, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी, हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलकोट, श्रीमती ऐश्वी हर्षद, शिवम साई, सुश्री मंशा शुक्ला, राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, समीर मुद्गिल, सुश्री अनानी अचुमी, दिनेश शर्मा, सुश्री शिवानी सागर, आर.पी. दैदा, आशीष वाड, श्रीमती तमाली वाड, सुश्री कीर्ति शर्मा, सुश्री आकृति आर्य, मेसर्स जे.एस. वाड एंड कंपनी, रजत अरोड़ा, रवि रंजन मिश्रा, अणुव्रत शर्मा, बद्री प्रसाद सिंह, संजय कपूर, अर्जुन भाटिया, सूर्य प्रकाश, सुश्री ईशा विरमानी, सूर्य नाथ पांडे, सतेंद्र त्रिपाठी, आयुष केसरवानी, राधा श्याम जेना।

निर्णय

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

1. यह निर्णय विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों द्वारा संस्थित अपीलों का निर्णय करता है, तथा उन निर्णयों पर आपत्ति करता है, जिनमें उनकी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जहां आयकर अधिनियम, 1961¹ की धारा 17(2)(viii) या आयकर नियम, 1962² के नियम 3(7)(i) या दोनों की वैधता को चुनौती दी गई थी।
2. अधिनियम की धारा 17(2)(viii) में 'अनुलाभ'³ की परिभाषा में 'कोई अन्य फ्रिंज बेनिफिट या सुविधा', 'जैसा कि निर्धारित किया गया है'⁴, शामिल है। धारा 17(2)(viii) के अनुसरण करने वाले नियम 3 में 'फ्रिंज बेनिफिट' या 'सुविधा' निर्धारित की गई है, जो अनुलाभ के रूप में कर योग्य हैं। यह कराधान उद्देश्यों के लिए ऐसी अनुलाभों के मूल्यांकन की विधि भी निर्धारित करता है। नियम 3(7)(i) में यह प्रावधान है कि बैंकों द्वारा बैंक कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले ब्याज-मुक्त/रियायती ऋण लाभ 'फ्रिंज बेनिफिट' या 'सुविधा' के रूप में कर योग्य होंगे, यदि बैंक द्वारा ऐसे ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज भारतीय स्टेट बैंक⁵ की प्राइम लेंडिंग रेट⁶ के अनुसार लिए जाने वाले ब्याज से कम है।
3. धारा 17(2)(viii) और नियम 3(7)(i) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड⁷ को आवश्यक विधायी कार्य का अत्यधिक और अनियंत्रित प्रत्यायोजन करने के आधार पर चुनौती दी गई है। नियम 3(7)(i) को भी मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए चुनौती दी गई है, क्योंकि यह बैंक द्वारा ग्राहक से ऋण पर ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर की अपेक्षा एसबीआई के पीएलआर को बेंचमार्क मानता है।
4. अधिनियम की धारा 15 से 17 वेतन पर लगने वाले आयकर से संबंधित हैं।
 - ⇒ धारा 15 में आयकर के लिए देय आय को 'वेतन' के रूप में निर्धारित किया गया है।
 - ⇒ धारा 16 में 'वेतन' के अंतर्गत स्वीकार्य कटौतियों का निर्धारण किया गया है।
 - ⇒ धारा 17 में धारा 15 और 16 के लिए 'वेतन', 'अनुलाभ' और 'वेतन के बदले लाभ' की परिभाषा दी गई है।

5. धारा 17(1) में 'वेतन' की परिभाषा में वेतन, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, या वेतन या मजदूरी के बदले या इसके फ्रिंज बेनिफिट, वेतन का अग्रिम भुगतान, छुट्टी न लेने के संबंध में कर्मचारी द्वारा प्राप्त भुगतान, किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में शेष राशि में वार्षिक वृद्धि, आदि शामिल हैं।

6. धारा 17(2) 'अनुलाभ' से संबंधित और इस प्रकार है⁸:

"(2) "अनुलाभ" में शामिल हैं-

- (i) करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास का मूल्य, जिसकी संगणना ऐसी रीति से की जा सकती है, जैसी कि विहित है;
- (ii) करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी आवास का मूल्य।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि आवास को रियायती दर पर प्रदान किया गया माना जाएगा, यदि निर्धारित रीति से संगणना किए गए आवास का मूल्य, करदाता से वसूल किए जाने योग्य या उसके द्वारा देय किराए से अधिक है।

(iii) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी लाभ या सुविधा का मूल्य-

- (क) किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को जो उसका निदेशक है;
- (ख) किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को जो कंपनी में पर्याप्त हित रखता है;
- (ग) किसी नियोक्ता (कंपनी सहित) द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को, जिस पर इस उपखंड के पैराग्राफ (क) और (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जिसकी आय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत (चाहे एक या अधिक नियोक्ताओं से देय हो, या उनके द्वारा भुगतान की गई हो या दी गई हो), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान न किए गए सभी लाभों या सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर, पचास हजार रुपये से अधिक है:

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी कंपनी या नियोक्ता द्वारा करदाता द्वारा अपने निवास से अपने कार्यालय या अन्य स्थान या

कार्य तक, या ऐसे कार्यालय या स्थान से अपने निवास तक यात्रा के लिए प्रदान किए गए किसी वाहन का उपयोग, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उसे निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किया गया लाभ या सुविधा नहीं माना जाएगा;

- (iv) नियोक्ता द्वारा किसी दायित्व के संबंध में भुगतान की गई कोई राशि, जो ऐसे भुगतान के बिना, करदाता द्वारा देय होती; और
- (v) नियोक्ता द्वारा देय कोई राशि, चाहे सीधे या किसी निधि के माध्यम से, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3-छ के तहत स्थापित किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड या जमा-लिंकड बीमा निधि के अलावा, या, जैसा भी मामला हो, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6-ग, करदाता के जीवन पर बीमा देने या वार्षिकी के लिए अनुबंध करने के लिए;
- (vi) नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटित या हस्तांतरित किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य।

स्पष्टीकरण — इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “विनिर्दिष्ट प्रतिभूति” का अर्थ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित प्रतिभूतियां हैं और जहां किसी योजना या स्कीम के तहत कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प को मंजूरी दी गई है, वहां ऐसी योजना या स्कीम के तहत प्रस्तावित प्रतिभूतियां शामिल हैं;
- (ख) “स्वेट इक्विटी शेयर” का अर्थ किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर हैं, ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य संवर्धन की प्रकृति में अधिकार उपलब्ध कराए जा सकें, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए;
- (ग) किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का उस तिथि को उचित बाजार

मूल्य होगा, जिस तिथि को करदाता द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के संबंध में करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि घटा दी जाती है;

(घ) "उचित बाजार मूल्य" का अर्थ है विहित विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य;

(ङ) "विकल्प" का अर्थ है किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित मूल्य पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने का अधिकार, परंतु दायित्व नहीं;

(vii) नियोक्ता द्वारा करदाता के खाते में किए गए किसी अंशदान की राशि या राशियों का योग-

(क) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में;

(ख) धारा 80-गगघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना में; और

(ग) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में,

जहां तक वह पिछले वर्ष में सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो;

(viiia) उपखण्ड (vii) में निर्दिष्ट निधि या योजना के जमा शेष में पिछले वर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या इसी प्रकार की किसी अन्य राशि के रूप में वार्षिक वृद्धि, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वह उक्त उपखण्ड में निर्दिष्ट अंशदान से संबंधित है, जो किसी पिछले वर्ष में उक्त उपखण्ड के तहत कुल आय में शामिल है, जिसकी गणना ऐसी रीति से की जा सकती है, जैसी विहित की गई है; और

(viii) किसी अन्य फ्रिंज बेनिफिट या सुविधा का मूल्य, जैसा कि विहित किया गया है:

xx

xx

xx”

(जोर/बल दिया गया)

7. नियम 9 के नियम 3(7)(i) में उपबंधित है:⁹

“(7) धारा 17¹⁰, की उपधारा (2) के उपखण्ड (vi) में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित अन्य फ्रिंज बेनिफिट या सुविधाएं विहित की जाती हैं तथा उनका मूल्य नीचे दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा:

(i) नियोक्ता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को उपलब्ध कराए गए किसी भी

उद्देश्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण के प्रावधान के परिणामस्वरूप करदाता को होने वाले लाभ का मूल्य, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) द्वारा प्रति वर्ष ली जाने वाली दर पर संगणित साधारण ब्याज के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जो कि उसके द्वारा या उसके परिवार के किसी ऐसे सदस्य द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, को घटाकर उसी उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में प्रासंगिक पिछले वर्ष की पहली तारीख को अधिकतम बकाया मासिक शेष पर होगा।

यद्यपि, यदि ऐसे ऋण इन नियमों के नियम 3ए में निर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं या जहां ऋण की राशि छोटी है और कुल मिलाकर 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा:

परन्तु जहां लाभ ऊपर उल्लिखित चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋणों से संबंधित हैं, वहां प्रदान की गई छूट उस ऋण की उस राशि पर लागू नहीं होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति किसी चिकित्सा बीमा योजना के तहत कर्मचारी को की गई है।”¹¹

8. धारा 17(1), 'वेतन' की एक व्यापक और समावेशी परिभाषा प्रदान करती है। यह उल्लिखित करता है कि वेतन में अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी के साथ-साथ कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य भुगतान जैसे अनुलाभ भी शामिल हैं। इस प्रकार, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले अनुलाभ 'वेतन' के रूप में कर योग्य हैं।
9. स्पष्टता के लिए और इसके दायरे को शामिल करने और व्यापक बनाने के लिए धारा 17(2) में 'अनुलाभ' को परिभाषित किया गया है। धारा 17(2) के खंड (i) से (viii) निम्नलिखित को 'अनुलाभ' के रूप में कर योग्य बनाते हैं:
 - ⇒ खंड (i) - नियोक्ता द्वारा किराया-मुक्त आवास।
 - ⇒ खंड (ii) - नियोक्ता द्वारा रियायती दर पर आवास।
 - ⇒ खंड (iii) - निर्दिष्ट मामलों में मुफ्त/रियायती दर पर प्रदान की जाने वाली सुविधा का लाभ।
 - ⇒ खंड (iv) - नियोक्ता द्वारा किसी दायित्व के लिए भुगतान की गई राशि।

- ⇒ खण्ड (v) – करदाता के जीवन पर बीमा देने या वार्षिकी के लिए अनुबंध करने के लिए नियोक्ता द्वारा निधि (विनिर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर) के माध्यम से देय राशि।
- ⇒ खण्ड (vi) – नियोक्ता द्वारा रियायती दर/निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर।
- ⇒ खण्ड (vii) – नियोक्ता द्वारा करदाता के खाते में योगदान की गई विनिर्दिष्ट राशि जैसे कि भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फंड आदि।
- ⇒ खण्ड (viii) – खण्ड (vii) के संबंध में ब्याज, लाभांश या अन्य समान राशियों के माध्यम से वार्षिक अभिवृद्धि।

10. 'अनुलाभ' के रूप में क्या शामिल है और किस पर कर लगाया जाता है, यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करने के बाद, धारा 17(2) का खंड (viii), एक अवशिष्ट खंड के रूप में, जानबूझकर और साशय नियम बनाने वाले प्राधिकरण को नियम बनाकर 'किसी अन्य फ्रिज बेनिफिट या सुविधा' पर कर लगाने के लिए छोड़ देता है। अवशिष्ट खंड को 'अनुलाभ' के दायरे में किसी अन्य 'फ्रिज बेनिफिट या सुविधा' को समाहित करने और कर लगाने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो पहले से ही धारा 17(2) के खंड (i) से (viii) द्वारा कवर नहीं किया गया है।
11. धारा 17(2)(viii) के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में, सीबीडीटी ने नियमों के नियम 3(7)(i) को अधिनियमित किया है। नियम 3(7)(i) में कहा गया है कि किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को नियोक्ता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया ब्याज-मुक्त/रियायती ऋण, एसबीआई द्वारा उसी उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में प्रासंगिक पिछले वर्ष की पहली तारीख को प्रति वर्ष ली जाने वाली ब्याज दर के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जो वास्तव में चुकाए गए ब्याज, यदि कोई हो, को घटाकर अधिकतम बकाया मासिक शेष राशि पर होगा। हालांकि, नियम 3ए में निर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण या ऐसे ऋण जिनका कुल मूल्य 20,000/- रुपये से अधिक नहीं है, प्रभाव नहीं हैं।
12. उक्त नियम का प्रभाव दोहरा है। सबसे पहले, ब्याज-मुक्त या रियायती ऋणों के मूल्य को धारा 17(2) (viii) के प्रयोजन के लिए 'अन्य फ्रिज बेनिफिट या सुविधा' के रूप में माना जाएगा और इसलिए, 'अनुलाभ' के रूप में कर योग्य होगा। दूसरे, यह कराधान के प्रयोजनों के लिए ब्याज-मुक्त/रियायती ऋण के मूल्यांकन की विधि उपबंधित करता है।

13. कानून बनाते समय, विधानमंडल स्पष्ट परिभाषाओं के माध्यम से शब्दों के अर्थ को परिभाषित कर सकता है और करता भी है। शब्दों/अभिव्यक्तियों को ढीले या प्रचलित अर्थों से अलग करने, शब्दों या अभिव्यक्तियों के दायरे को विस्तारित या सीमित करने, या 'अनुच्छेद की शर्तों' को निर्दिष्ट करने के लिए, यानी विशेष अर्थ वाले शब्दों या वाक्यांशों को निर्दिष्ट करने के लिए, सटीकता के लिए विशिष्ट अर्थ दिए जाते हैं। स्पष्ट परिभाषाएँ उपयोगी हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि सभी शब्दों या अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सामान्य या व्यावसायिक शब्दावली का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक शब्द या अभिव्यक्ति को परिभाषित करना न तो संभव है और न ही समीचीन। यह एक अनावश्यक अभ्यास होगा, और कानून को बहुत विस्तृत बना देगा। इसके अतिरिक्त, लोकप्रिय अर्थ कानून को आम लोगों के लिए सरल और आसान बनाता है। आखिरकार, यह सामान्य जनता ही है जो कानून के निहितार्थों से चिंतित है, और इस प्रकार, सामान्य जनता की समझ विधायी इरादे का निर्णायक सूचकांक है। कारण सामान्य है। माना जाता है कि विधानमंडल को शब्द/अभिव्यक्ति के लिए दिए गए सुविचारित अर्थ के बारे में पता है, और आवश्यक निहितार्थ से विधानमंडल एक निश्चित और सटीक परिभाषा निर्धारित न करके, आम बोलचाल या वाणिज्यिक उपयोग में शब्द/अभिव्यक्ति को दिए गए प्रचलित अर्थ को बताता है। इसमें किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय या पेशे आदि में तकनीकी शब्दों को दिए गए अर्थ शामिल होंगे, जब कानून किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय या लेन-देन से संबंधित हो। यह नियम कराधान कानून में शब्दों या अभिव्यक्तियों की व्याख्या करने पर भी समान रूप से लागू होता है।
14. वर्तमान मामले में, धारा 17(2)(viii) एक अवशिष्ट खंड है, जिसे लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। चूँकि इसे एक सक्षम कैच-इन-डोमेन प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है, इसलिए अवशिष्ट खंड लोहे की तरह मजबूत और सटीक नहीं है। आम बोलचाल और वाणिज्यिक उपयोग में 'अनुलाभ' के प्रचलित अर्थ का पता लगाकर एक अधिक व्यावहारिक और सामान्य दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
15. 'अनुलाभ' अभिव्यक्ति एक आम व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से समझी जाती है जो कर लगाने वाले कानून के विषय से परिचित है। न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर का व्यापक शब्दकोश 'अनुलाभ' को वेतन या मजदूरी से परे सेवा से किसी भी आकस्मिक लाभ के रूप में परिभाषित करता है; इसलिए, किसी भी विशेषाधिकार या लाभ का दावा किया जाता है।¹² 'फ्रिंज बेनिफिट' को वेतन के अलावा नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न लाभों में से किसी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे बीमा, पेंशन, छुट्टी आदि। इसी तरह, ब्लैक का लॉ डिक्शनरी 'फ्रिंज बेनिफिट' को एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से प्राप्त लाभ

(प्रत्यक्ष वेतन या मुआवजे के अलावा) के रूप में परिभाषित करता है, जैसे बीमा, एक कंपनी कार या व्यूशन भत्ता।¹³ मेजर लॉ लेक्सिकन ने 'अनुलाभ' और 'फ्रिज बेनिफिट' शब्दों को विस्तार से परिभाषित किया है।¹⁴

16. इस न्यायालय के कई निर्णयों में 'अनुलाभ' की व्याख्या आम बोलचाल की अभिव्यक्ति के रूप में भी की गई है। उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 17(2) के संबंध में [अरुण कुमार बनाम भारत संघ](#)¹⁵ में 'अनुलाभ' की व्याख्या की गई थी। न्यायालय ने इसके शब्दकोश अर्थों का संदर्भ दिया और माना कि 'अनुलाभ' रोजगार के लिए प्रासंगिक और नियमित वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त एक विशेषाधिकार, लाभ या मुनाफा है। यह निर्णय [ओवेन बनाम पूक](#)¹⁶ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की टिप्पणियों को संदर्भित करता है, जहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने देखा कि 'अनुलाभ' का एक ज्ञात सामान्य अर्थ है, अर्थात् व्यक्तिगत लाभ। हालांकि, अनुलाभ का मतलब केवल आवश्यक संवितरण की प्रतिपूर्ति नहीं है। [रेंडेल बनाम वेंट](#)¹⁷ का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि 'अनुलाभ' में कोई भी लाभ या फायदा शामिल होगा, जिसका मौद्रिक मूल्य हो, जो किसी पद का धारक नियोक्ता द्वारा उसके लिए किए गए खर्च से प्राप्त करता है।
17. इसी तरह, [अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम भारत वी. पटेल](#)¹⁸ के मामले में, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि सामान्य बोलचाल में 'अनुलाभ' किसी कर्मचारी या पद से वेतन या पारिश्रमिक के अलावा जुड़े किसी भी भत्ते या लाभ से संबंधित है। इसमें आमतौर पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को हकदार वेतन या पारिश्रमिक के अतिरिक्त दिए जाने वाले गैर-नकद लाभ शामिल होते हैं।
18. इस प्रकार, 'अनुलाभ', वेतन के बदले लाभ' के विपरीत, कर्मचारी द्वारा धारित पद से जुड़ा एक फ्रिज बेनिफिट है, जो पिछली या भविष्य की सेवा के लिए एक पुरस्कार या प्रतिफल है। यह रोजगार से सम्बंधित है और वेतन से अधिक या इसके अतिरिक्त है। यह रोजगार के कारण दिया जाने वाला एक फायदा या लाभ है, जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होता।
19. इस दृष्टिकोण से, नियोक्ता द्वारा व्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण देना निश्चित रूप से 'फ्रिज बेनिफिट' और 'अनुलाभ' रूप योग्य होगा, जैसा कि सामान्य बोलचाल में इसके प्राकृतिक(सामान्य) उपयोग के माध्यम से समझा जाता है।
20. इस प्रकार दो विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं: (I) क्या धारा 17(2)(viii) और/या नियम 3(7)(i) 'आवश्यक विधायी कार्य' प्रत्यायोजन सीबीडीटी को करने का उपबंध करते हैं?; और (II) क्या नियम

3(7)(i) मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह एसबीआई के पीएलआर को बेंचमार्क मानता है?

(I) क्या धारा 17(2)(viii) और/या नियम 3(7)(i) 'आवश्यक विधायी कार्य' का प्रत्यायोजन सीबीडीटी को करने का उपबंध करते हैं?

21. दिल्ली नगर निगम बनाम बिरला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और अन्य¹⁹, में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना है कि विधायिका को आवश्यक विधायी कार्य अपने पास ही रखना चाहिए। 'आवश्यक विधायी कार्य' का अर्थ है विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के बाध्यकारी नियम के रूप में उसका निर्माण। इसलिए एक बार जब विधानमंडल विधायी नीति घोषित कर देता है और कानून के माध्यम से मानक निर्धारित कर देता है, तो वह शेष कार्य अधीनस्थ विधान पर छोड़ सकता है। ऐसे मामलों में, अधीनस्थ विधान प्राथमिक विधान के सहायक होते हैं। यह प्राथमिक विधान के ढांचे के साथ संरेखित होता है जब तक कि इसे प्राथमिक विधान द्वारा निर्धारित नीति और मानकों की सीमाओं को पार किए बिना इसके अनुरूप बनाया जाता है। इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या प्राथमिक विधान ने पर्याप्त स्पष्टता के साथ विधायी नीति और मानकों को बताया है जो अधीनस्थ प्राधिकारियों पर बाध्यकारी हैं जो प्रत्यायोजित विधान बनाते हैं।
22. हमारे अभिमत में, धारा 17(2)(viii) के तहत अधीनस्थ प्राधिकारी की 'किसी अन्य फ्रिंज बेनिफिट या सुविधा' को अनुलाभ के रूप में निर्धारित करने की शक्ति असीमित नहीं है। यह अधिनियम की धारा 17 की भाषा द्वारा सीमांकित है। धारा 17(2)(viii) के तहत नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा कर योग्य बनाई गई कोई भी चीज़ 'फ्रिंज बेनिफिट या सुविधा' के रूप में 'अनुलाभ' होनी चाहिए। हमारे अभिमत में, यह प्रावधान स्पष्ट रूप से विधायी नीति को दर्शाता है और नियम बनाने वाले प्राधिकरण को स्पष्ट मार्गदर्शन देता है।
23. धारा 17(2) 'अनुलाभ' की 'समावेशी' परिभाषा प्रदान करती है। धारा 17(2)(i) से (vii)/(viii) में कुछ विशिष्ट श्रेणियों के अनुलाभ दिए गए हैं। हालाँकि, ये एकमात्र प्रकार के अनुलाभ नहीं हैं। धारा 17(2) (viii) एक अवशिष्ट खंड प्रदान करती है जिसमें समय-समय पर निर्धारित 'अनुलाभ' की परिभाषा के भीतर 'कोई अन्य फ्रिंज बेनिफिट या सुविधाएं' शामिल हैं। स्पष्ट रूप से यह पूर्ण निकाय के रूप में, किसी अन्य 'फ्रिंज बेनिफिट' या वार्षिकी को 'अनुलाभ' के रूप में 'अनुलाभ' के दायरे में लाने की विधायिका की अधीनस्थ अधिकारियों को नियम बनाने के अधिकार को सौंपने की शक्ति को नहीं छीनता है। विधायी आशय, नीति और मार्गदर्शन रेखांकित और परिभाषित किया गया है। इस तरह के

सीमांकित प्रत्यायोजन के अनुसार, नियम 3(7) (i) ब्याज मुक्त/रियायती दरों पर ऋण को 'अनुलाभ' के रूप में कर योग्य 'फ्रिज बेनिफिट' या 'सुविधा' के रूप में निर्धारित करता है। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब हम [बिरला कॉटन 7जे](#) (सुप्रा) में किए गए 'आवश्यक विधायी कार्य' के परीक्षण के विश्लेषण को देखते हैं।

24. [बिरला कॉटन 7जे](#) (सुप्रा) में [इन रि: दिल्ली कानून अधिनियम 1912](#)²⁰ के संबंध में उल्लेख है, जिसमें इस न्यायालय ने माना कि विधायी शक्ति में असीमित अधिकार निहित नहीं है। प्रत्यायोजन की वैधता एक सहायक उपाय के रूप में इसके उपयोग पर निर्भर करती है, जिसे विधायिका विधायी शक्तियों के पूर्ण और प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक मानती है। बशर्ते कि विधायी नीति पर्याप्त स्पष्टता के साथ घोषित की गई हो या कोई मानक निर्धारित किया गया हो, न्यायालयों को उस विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो निस्संदेह किसी विशेष मामले में आवश्यक प्रत्यायोजन की सीमा निर्धारित करने में विधायिका के पास ही निहित है।

25. [बिरला कॉटन 7जे](#) (सुप्रा) में [राज नारायण सिंह बनाम अध्यक्ष, पटना प्रशासन समिति](#)²¹, का उल्लेख है, जिसमें इस न्यायालय ने माना कि एक कार्यकारी प्राधिकरण को किसी कानून द्वारा मौजूदा या भविष्य के कानूनों को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आवश्यक विशेषता में नहीं। एक आवश्यक विशेषता का गठन क्या होता है, इसे सटीक शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हालांकि, यह माना गया कि संशोधन में नीति में बदलाव शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि 'आवश्यक विधायी कार्य' में विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के बाध्यकारी नियम के रूप में उसका निर्माण शामिल है। धारा 17(2)(viii) और नियम 3(7)(i) के संदर्भ में, हमारा अभिमत है कि मुख्य कानून आवश्यक विशेषता परीक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। वे किसी आवश्यक विशेषता को संशोधित नहीं करते हैं और न ही वे विधायी नीति या आचरण के बाध्यकारी नियम को निर्धारित करने की शर्त का उल्लंघन करते हैं।

26. [बिरला कॉटन 7जे](#) (सुप्रा) में [हरि शंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य](#)²², का भी उल्लेख है, जहां बहुमत ने माना कि विधानमंडल को कानून की नीति और कानूनी सिद्धांतों की घोषणा करनी चाहिए, जो किसी भी दिए गए मामलों को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार कार्यपालिका को मार्गदर्शन का एक मानक प्रदान करते हैं, जिसे कानूनों को लागू करने का अधिकार है।

27. [बिरला कॉटन 7जे](#) (सुप्रा) द्वारा संदर्भित [वेस्टर्न इंडिया थियेटर्स लिमिटेड बनाम पूना, नगर निगम](#)²³ में प्रश्न नगरपालिका की "किसी भी अन्य कर को लगाने की शक्ति से संबंधित था, जिसकी प्रकृति और

उद्देश्य के लिए राज्यपाल-इन-काउंसिल की स्वीकृति विचाराधीन चयन से पहले प्राप्त की गई हो”। प्रत्यायोजित विधान को इस आधार पर बरकरार रखा गया कि नगरपालिका को कर लगाने के लिए मुख्य अधिनियम द्वारा अधिकृत किया गया था। अधिनियम ने नगरपालिका पर लगाए गए दायित्वों और कार्यों को परिभाषित किया। कर केवल उन विशिष्ट उद्देश्यों को लागू करने के लिए लगाए जा सकते थे, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसके अलावा, अधिनियम में धारा ने कर लगाने के लिए नगरपालिका द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की थी। इस प्रकार, विधानमंडल ने नगरपालिका के पक्ष में अपने कार्य का परित्याग नहीं किया था। वर्तमान मामले में भी यही सही है।

28. [बिरला कॉटन 7जे](#) (सुप्रा) में, करदाता ने नगर निगम द्वारा तीन कर लगाने के लिए पारित प्रस्ताव को चुनौती दी थी, जिसमें बिजली की खपत या बिक्री पर कर लगाना भी शामिल था। चुनौती यह थी कि निगम द्वारा कर लगाना अत्यधिक प्रत्यायोजन के माध्यम से था और इसलिए यह अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस न्यायालय ने कर लगाने को बरकरार रखने के लिए [पंडित बनारसी दास भनोट बनाम मध्य प्रदेश राज्य](#)²⁴, के निर्णय पर भरोसा किया। [पंडित बनारसी](#) (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने देखा था कि प्रत्यायोजित विधान तब असंवैधानिक नहीं होता जब विधानमंडल कराधान कानूनों के कामकाज से संबंधित विवरण निर्धारित करने के लिए इसे कार्यपालिका पर छोड़ देता है, जैसे कि उन व्यक्तियों का चयन जिन पर कर लगाया जाना है, विभिन्न श्रेणियों के सामान के संबंध में इसे किस दर पर लगाया जाना है और इसी तरह यह माना गया कि प्रधान विधानमंडल ने मार्गदर्शन, नियंत्रण या सुरक्षा के बिना कर की दर तय करने की पूर्ण शक्ति नहीं दी है।

29. [पंडित बनारसी दास](#) (सुप्रा) का मामला [पॉवेल बनाम अपोलो कैंडल कंपनी लिमिटेड](#)²⁵ का भी उल्लेख करता है, जिसमें शुल्क लगाने के लिए प्रत्यायोजन की शक्ति को यह देखते हुए बरकरार रखा गया था कि शुल्क की दर तय करने के तरीके में पूर्ण मार्गदर्शन था और अंत में राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को अनावश्यक देरी के बिना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना था।

30. [देवीदास गोपाल कृष्णन बनाम पंजाब राज्य](#)²⁶ में, इस न्यायालय ने [कलकत्ता कॉर्पोरेशन बनाम लिबर्टी सिनेमा](#)²⁷ में दिए गए अपने पूर्व निर्णय को समाप्त किया, जहां बहुमत ने सिनेमा शो पर कर के निर्धारण को बरकरार रखा था, हालाँकि कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, 1951 कर की सीमा निर्धारित करने में विफल रहा था। [लिबर्टी सिनेमा](#) (सुप्रा) में बहुमत ने [पंडित बनारसी दास](#) (सुप्रा) का उल्लेख किया था और माना था कि विभिन्न श्रेणियों के सामानों पर लगाए जाने वाले करों की दरें तय करने की शक्ति के प्रत्यायोजन और दरों को सरलता से तय करने की शक्ति के बीच कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है;

यदि कुछ मामलों में दरें तय करने की शक्ति सौंपी जा सकती है तो समान रूप से सामान्य रूप से दरें तय करने की शक्ति भी सौंपी जा सकती है। न्यायालय ने माना कि यदि यह तय करने की शक्ति कि कर का भुगतान कौन करेगा, कानून का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो कर की दर तय करने की शक्ति भी ऐसी नहीं होगी। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि कर की दर तय करना गलत नहीं था क्योंकि विधानमंडल ने अधिकतम दर निर्धारित की थी। मार्गदर्शन नियम को उचित माना गया।

31. हमारा मत है कि ब्याज मुक्त/रियायती ऋणों पर फ्रिज बेनिफिट के रूप में कर लगाने के लिए अधीनस्थ कानून बनाना अधिनियम की धारा 17(2)(viii) के तहत नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत आता है। धारा 17(2)(viii) और नियम 3(7)(i) का अधिनियमन अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला नहीं है और अनुमेय प्रत्यायोजन के मापदंडों के अंतर्गत आता है। धारा 17(2) स्पष्ट रूप से विधायी नीति को चित्रित करती है और नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए मानक निर्धारित करती है। तदनुसार, नियम 3(7)(i) अधिनियम की धारा 17(2)(viii) के अंतर्गत आता है। धारा 17(2)(viii) 'आवश्यक विधायी कार्य' का अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं करती है।

II. क्या नियम 3(7)(i) मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जहां तक यह एसबीआई के पीएलआर को बेंचमार्क मानता है?

32. नियम 3(7)(i) एसबीआई की ब्याज दर, यानी पीएलआर को अन्य व्यक्तिगत बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर की तुलना में करदाता को मिलने वाले लाभ के मूल्य को निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में स्थापित करता है। बेंचमार्क के रूप में एसबीआई की ब्याज दर का निर्धारण न तो मनमाना है और न ही शक्ति का असमान प्रयोग है। नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने असमान को समान नहीं माना है। ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण से बैंक कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ उनके द्वारा प्राप्त एक अनूठा लाभ/फायदा है। यह एक 'अनुलाभ' की प्रकृति का है, और इसलिए कराधान के लिए उत्तरदायी है।
33. यह शायद ही तर्क दिया जा सकता है कि नियम 3(7)(i) मनमाना या तर्कहीन है क्योंकि यह एसबीआई के पीएलआर के संदर्भ में अनुलाभ की गणना को बेंचमार्क मानता है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और उनके द्वारा तय की गई ब्याज दरें हमेशा अन्य बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। अनुलाभ या फ्रिज बेनिफिट की गणना के लिए एक स्पष्ट मानक तय करके, यह नियम ग्राहकों से विभिन्न बैंकों द्वारा ली जा रही ब्याज दरों का पता लगाने से रोकता है और इस प्रकार, अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकता है। नियम 3(7)(i) आवेदन में एकरूपता सुनिश्चित करता

है, मूल्यांकनकर्ता और राजस्व विभाग दोनों के लिए स्पष्टता प्रदान करता है, और कर की राशि के बारे में निश्चितता प्रदान करता है। जब निश्चितता और स्पष्टता होती है, तो कर दक्षता होती है जो करदाता और कर प्राधिकारियों दोनों के लिए फायदेमंद होती है। ये सभी अच्छे कर कानून की पहचान हैं। नियम 3(7)(i) एकसमान दृष्टिकोण पर आधारित है और एक निष्पक्ष निर्धारण सिद्धांत पर आधारित है जो संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित है।

34. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब एकसमान दृष्टिकोण की बात आती है तो राजकोषीय या कर उपायों से संबंधित कानून अन्य विधियों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं।²⁸ विधानमंडल को ऐसे मामलों में कुछ लचीलापन दिया जाना चाहिए और यह न्यायालय विधायी विवेक को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक इच्छुक है।²⁹ वाणिज्यिक और कर कानून अत्यधिक संवेदनशील और जटिल होते हैं क्योंकि वे कई समस्याओं से निपटते हैं और आकस्मिक होते हैं। यह न्यायालय विचाराधीन कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, जो दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकता है और निश्चितता को बढ़ावा देता है। यह करदाताओं के लिए अन्यायपूर्ण, बेरहम या कठोर नहीं है। एक जटिल समस्या को एक सख्त फॉर्मूले के माध्यम से हल किया गया है, जो न्यायिक स्वीकृति के योग्य है। अन्यथा अवधारित करने से कई समस्याएं/मुद्दे पैदा होंगे और विधायी विवेक को दरकिनार कर दिया जाएगा। वर्तमान मामले में सार्वभौमिक परीक्षण व्यावहारिक, निष्पक्ष और न्यायसंगत है। इसलिए, नियम 3(7) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत माना जाता है।

35. तदनुसार, हम अपीलों को खारिज करते हैं और मद्रास तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों को बरकरार रखते हैं। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

प्रकरण का परिणाम: अपीलें खारिज।

शीर्ष टिप्पणियाँ: हिमांशु राय, आनरेरी एसोसिएट एडिटर
(सत्यापित: कनु अग्रवाल, अधिवक्ता)

* ऑथर

1 संक्षेप में, "एक्ट"

2 संक्षेप में, "नियम"

3 अधिनियम की धारा 17(2) में अनुलाभ को परिभाषित किया गया है। इसमें रोजगार से जुड़े और वेतन से अधिक प्राप्त लाभों/सुविधाओं की सूची निर्दिष्ट की गई है, जिन्हें अनुलाभ के रूप में कर योग्य बनाया गया है। धारा 17(2)(viii) एक अवशिष्ट खंड है जो अधीनस्थ नियम बनाने वाले प्राधिकरण को 'किसी अन्य फ्रिज बेनिफिट या सुविधाओं' को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है जो 'सुविधाओं' के रूप में कराधान के लिए उत्तरदायी हैं।

4 वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा 01.04.2010 से लागू गए संशोधनों से पहले, अधिनियम की धारा 17(2)(vi) में लिखा था: "(vi) किसी अन्य फ्रिज बेनिफिट या सुविधा का मूल्य (अध्याय XIII के तहत कर के योग्य फ्रिज बेनिफिटों को छोड़कर) जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है"। संशोधन के बाद, धारा 17(2)(viii), वास्तव में कुछ संशोधनों के साथ पूर्ववर्ती धारा 17(2)(vi) के समान ही शर्तें रखती है। इसमें कहा गया है: "(viii) किसी अन्य फ्रिज बेनिफिट या सुविधा का मूल्य जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है"। इस प्रकार, वर्तमान धारा 17(2)(viii) में पूर्ववर्ती धारा 17(2)(vi) के समान शर्तें हैं, केवल अध्याय XIII का संदर्भ हटा दिया गया है।

5 संक्षेप में, "एसबीआई"

6 संक्षेप में, "पीएलआर"

7 संक्षेप में, "सीबीडीटी"

8 पश्चात् 01.04.2010

9 आयकर (प्रथम संशोधन) नियम, 2004 के तहत संशोधन के पश्चात् यह 01.04.2004 से प्रभावी है।

10 कृपया सुप्रा नोट 4 देखें।

11 यहां यह बताना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ताओं ने नियम 3(7)(i) को चुनौती नहीं दी है, क्योंकि यह 01.04.2001 से 31.03.2004 की अवधि के लिए मौजूद था, अर्थात् आयकर (प्रथम संशोधन) नियम, 2004 (01.04.2004 से प्रभावी) के संशोधन के पूर्व। इस प्रकार हम उक्त नियम का उल्लेख कर रहे हैं।

12 न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, पृष्ठ 941

13 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, पृष्ठ 188 (10वां संस्करण)।

14 अनुलाभ का अर्थ है किसी पद या पद से प्राप्त होने वाली कोई चीज़ जो नियमित वेतन या शुल्क से परे हो। यह रोजगार से आकस्मिक रूप से प्राप्त लाभ या मुनाफा है। पी. रामनाथ अय्यर मेजर लॉ लेक्सिकन, खंड 5, पृष्ठ 5059-5069 (चौथा संस्करण)।

फ्रिज बेनिफिट एक ऐसा शब्द है जिसमें नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर्मचारियों के विभिन्न लाभ शामिल हैं और यह श्रमिकों के मूल वेतन या वेतन का पूरक है। पी. रामनाथ अय्यर मेजर लॉ लेक्सिकन, खंड 3 (चौथा संस्करण)।

15 [2006] अनुपूरक 6 एससीआर 290: (2007) 1 एससीसी 732

16 (1969) 2 डब्ल्यूएलआर 775 (एचएल)

17 (1964) 1 डब्ल्यूएलआर 650 (एचएल)

18 [2018] 7 एससीआर 1067: (2018) 15 एससीसी 670

19 [1968] 3 एससीआर 251: (1968) एससीसी ऑनलाइन एससी 13

20 [1951] 1 एससीआर 747: (1951) एससीसी 568

21 [1955] 1 एससीआर 290

22 [1955] 1 एससीआर 380

23 एआईआर 1959 एससी 586

24 [1959] एससीआर 427

25 8 एससी 282

26 एआईआर (1967) एससी 1895

27 [1965] 2 एससीआर 477

28 आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी (2008) 4 एससीसी 720

29 स्विस् रिबन्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17

आयुष राय द्वारा अनुवादित